बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांकः– *संoसंo–03 / उ0नि0 / योजना(औ0प्रो0नीति)–02 / 2015*........................... /   पटना, दिनांक.........................

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०),
बिहार, पटना।

विषय :– औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 के अन्तर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रक्षेत्र की औद्योगिक ईकाइयों को देय, लंबित विभिन्न रियायतें एवं सुविधाओं की प्रतिपूर्त्ति एवं बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 अन्तर्गत देय प्रोत्साहन पैकेज/अनुदान की प्रतिपूर्त्ति, उद्योगों के स्थापना/पुनर्वास के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय/औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड/वित्त मंत्रालय के आदेश का अनुपालन किये जाने तथा रूग्न उद्योगों के लिए गठित शीर्ष समिति द्वारा स्वीकृत प्रोत्साहनों को देने/प्रतिपूर्त्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में अतिरिक्त कुल ₹1500.00 लाख (पन्द्रह करोड़) मात्र सब्सिडी के व्यय एवं निकासी की स्वीकृति के संबंध में।

आदेशः–स्वीकृत।

उपर्युक्त विषयक राज्यादेश संख्या–1513, दिनांक–25.05.2017 के क्रम में कहना है कि राज्य में औद्योगिक प्रगति को तीव्र करने तथा पूँजी निवेश को बढावा देने के उदेश्य से औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 के अन्तर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रक्षेत्र की औद्योगिक ईकाइयों को देय लंबित विभिन्न रियायतें एवं सुविधाओं की प्रतिपूर्त्ति एवं बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 अन्तर्गत देय प्रोत्साहन पैकेज/अनुदान की प्रतिपूर्त्ति, उद्योगों के स्थापना/पुनवार्स के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय/ औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड/वित्त मंत्रालय के आदेश के अनुपालन किये जाने तथा रूग्न उद्योगों के लिए गठित शीर्ष समिति द्वारा स्वीकृत प्रोत्साहनों को देने/प्रतिपूर्त्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में अतिरिक्त कुल **₹1500.00 लाख (पन्द्रह करोड़) मात्र** सब्सिडी के व्यय एवं निकासी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उपलब्ध करायी गयी राशि का 5 प्रतिशत राशि महिला उद्यमियों को प्राथमिकता के आधार पर व्यय की जायेगी।

3. उक्त स्वीकृत राशि का व्यय मुख्य शीर्ष 2852 उद्योग, उप मुख्य शीर्ष 80–- सामान्य, लघु शीर्ष 102–औद्योगिक उत्पादकता, माँग संख्या 23, उप शीर्ष 0160–प्री प्रोडक्सन एवं पोस्ट प्रोडक्सन सुविधाओं की योजना, विपत्र कोड 23-285280102016O, विषय शीर्ष 0160.33.01 सब्सिडी मद से चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में तृतीय अनुपूरक आगणन के माध्यम से प्राप्त बजट उपबंध में उपबंधित राशि से विकलीत होगा।

4. उद्योग निदेशक, बिहार, पटना द्वारा निर्गत स्वीकृत्यादेश के आलोक में राशि की निकासी नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जाएगी तथा स्वीकृत्यादेश में दिये गये निदेशानुसार भुगतान सम्बन्धित ईकाई/संस्था को उनके बैंक खाते में RTGS/NEFT/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से की जायगी।

5 राशि की निकासी एवं उसका समायोजन वित्त विभागीय पत्रांक–-4263 वि0 दिनांक–20.05.2014 द्वारा निर्गत दिशा निदेश के अनुरूप की जाएगी।

6. उक्त स्वीकृत राशि योजना उद्व्यय के अंतर्गत है। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कोषागार से राशि की निकासी के लिए योजना कोड तथा विपत्र कोड का उल्लेख अनिवार्य रूप से करेंगे।

7. प्रस्ताव में माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन संचिका सं0–03/उ0नि0/योजना (औ0प्रो0नीति)–02/2015 के पृष्ट 175/टि0 पर प्राप्त है।

8. वित्त विभागीय पत्रांक–2561 दिनांक–17.04.98 की कंडिका–2 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा एवं राशि की निकासी वित्त विभागीय पंत्राक–8244 दिनांक–02.08.2010 के दिशा निदेशों के अनुपालन में किया जायेगा।

क्रमशः पृष्ट–02...

9. वित्त विभाग के परिपत्र संख्याः–7355/वि0(2), दिनांकः 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(प्रदीप कुमार)
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–......................../ पटना, दिनांक–................................
03/उ0नि0/योजना(औ0प्रो0नीति), –02/2015

प्रतिलिपि–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(प्रदीप कुमार)
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–......................../ पटना, दिनांक–................................
03/उ0नि0/योजना(औ0प्रो0नीति), –02/2015

प्रतिलिपिः–सहायक निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना (दो प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(प्रदीप कुमार)
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–......................../ पटना, दिनांक–................................
03/उ0नि0/योजना(औ0प्रो0नीति), –02/2015

प्रतिलिपिः– उद्योग निदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(प्रदीप कुमार)
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–....1014..../ पटना, दिनांक–....14.03.18....
03/उ0नि0/योजना(औ0प्रो0नीति), –02/2015

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/आय–व्ययक पदाधिकारी, वित्त विभाग/आय–व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/निदेशक (तक0), तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार, पटना/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग निदेशालय/प्रशाखा पदाधिकारी–1 (बजट), उद्योग विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा–2 (उ0नि0), उद्योग निदेशालय/प्रभारी उप उद्योग निदेशक, उद्योग विभाग/प्रशाखा–1 (सरकार) योजना शाखा को तीन अतिरिक्त प्रतियों एवं प्रशाखा–3, उद्योग निदेशालय को तीन प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(प्रदीप कुमार)
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।